यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी भीमताल,नैनीताल के माह जनवरी 2016 से नवम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो मो0 सलीम खान, व० संप्रेक्षक एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त) द्वारा दिनांक 03-12-2018 से 06-12-2018 तक श्री टी॰ एस॰ नेगी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1॰ परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एफ०आर०खान, व० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.01॰2016 से 10.02.2016 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**: सम्पूर्ण नैनीताल जिला है इकाई का क्रियाकलाप राज्य मे शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन `	व्यय `	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	नॉन प्लान-220202110030143	2282.42	2280.53	-	1.88
	प्लान-22020211004**0343**	37.33	36.99	-	0.34
	नॉन प्लान-22020**5103040043**	80.00	70.77	-	9.23
	प्लान-22020**2110040720**	69.96	69.95	-	0.01
2016-17	नॉन प्लान-220202110030143	2529.36	2497.94	-	31.42
	प्लान-22020211004**0343**	52.60	52.37	-	0.23
	नॉन प्लान-22020**5103040043**	80.00	69.99	-	10.01
	प्लान-22020**2110040720**	76.30	62.55	-	13.75
	नॉन प्लान-220202110030143	3507.00	3506.14	-	0.86
	प्लान-22020211004**0343**	125.97	118.18	-	7.79

2017-18	नॉन प्लान-22020**5103040043**	98.00	92.38	-	5.62
	नॉन प्लान-22020**2110040720**	2.80	2.80	-	0.00
	नॉन प्लान-22020**5103040020**	1.50	0.61	-	0.89
2018-19	नॉन प्लान-220202110030143	3432.52	2602.31	-	0.00
	नॉन प्लान-220205103040043	90.00	60.06	-	0.00
	नॉन प्लान-22020**5103040020**	1.20	0.53	-	0.00
	नॉन प्लान-22020**2110040720**	0.40	0.40	-	0.00
योग		**12467.36**	**11524.50**	**-**	**82.02**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त `		व्यय `		अधिक्य (+)		बचत (-)	
		केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य
2015-16		**-**Nil-							
2016-17									
2017-18									
2018-19									
योग:									

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	-Nil-	
2	2016-17		
3	2017-18		
4	2018-19		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई “सी” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

<u>सचिव</u>

↓

महानिदेशक

निदेशक मा.शि.	निदेशक प्रा.शि.
↓	↓
अपर निदेशक मा.शि.	अपर निदेशक प्रा.शि.
(कुमाऊँ मण्डल/गढवाल मण्डल)	(कुमाऊँ मण्डल/गढवाल मण्डल)
↓	↓
जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी	जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी
↓	↓
जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण नैनीताल जिला है, नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह **अगस्त 2017 एवं मई 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय स्तर पर योजनाओ का संचालन किया जाता है

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर -1- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 0.57 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान।

शासनादेश 395/xxxvii/7/2008 दिनाक 17/10/2008 के पैरा 8 के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी एवं 1 जुलाई होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 से 30.06.2006 के मध्य है। उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2006 को दी जाएगी तथा जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2006 से 31.012.2006 के मध्य होगी उन्हे वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को दी जाएगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उकतानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जाएगी। जन कार्मिकों की वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 है ऐसे कर्मचारियों को पूर्व में वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढांचे के वेतन बंद में वेतन निर्धारण किया जाए तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2007 को अनुमन्य होगी। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, के अधीन पूरन सिंह मोहन इंटर कालेज कूबरपुर नैनीताल में कार्यरत श्री पंकज कुमार (प्रवक्ता) की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर यह देखा गया कि (date of increment july थी) दिनांक:27/02/2013 को सहायक अध्यापक के पद वेतन (15800+4600) से पदोन्नति होने पर प्रवक्ता पद पर एक वेतन वृद्धि देते हुए (16510+4800) पर वेतन निर्धारण किया गया। इकाई द्वारा माह जुलाई/2013 को एक वार्षिक वेतन वृद्धि देते हुए 01.07.2013 को (17150+4500= 21950) पर वेतन निर्धारण किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। जब कि उक्त शासनादेश के अनुसार इनकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2014 को दी जानी चाहिये थी। वेतन वृद्धि छः माह पूर्व दिये जाने के कारण माह 27.02.2013 से माह 11/2018 तक कुल रु. 57095/- वेतन एवं भत्तों पर अधिक का भुगतान किया गया। (विस्तृत विवरण <u>**संलग्रक-1**</u> में दिया गया है।)

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया कि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है शासन के दिशा निर्देश के विपरीत जा कर छः माह पूर्व वेतन वृद्धि देने के कारम रु. 0.57 लाख वेतन एवं भत्तों पर अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर**	**स्टैन**
199/2015-16	शून्य	01 एवं 02	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
199/2015-16	भाग-दो(ब) के प्रस्तर संख्या 01 एवं 02	इकाई द्वारा उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से उत्तर प्रेषित नहीं किए गए थे।	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा देहरादून को अवलोकन/अनुमोदनार्थ प्रेषित।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. **शून्य-**

3. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1。	श्री रघुनाथ लाल आर्य	मुख्य शिक्षा अधिकारी	22.08.2014 से 23.05.2017
2。	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	मुख्य शिक्षा अधिकारी	25.05.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), “महालेखाकार भवन”, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.